

58/2018
5/6/18

(देखिए धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956)

सेवा में

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष-2018

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
मसूदा

एवम्
समस्या समाधान शिबिर/लोक अदालत/केम्प कोर्ट्स

विषय:- जमाबन्दी खाता 125 में इन्द्राज दुरुस्ती के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम दुरी (पेडा) की जमाबन्दी में खाता संख्या 126 पर आवेदक का नाम हरजी बंसल दर्ज है जबकि आवेदक का सही नाम S.B.S. शर्मा विपिनचन्द्र है अतः आवेदक के खाते में सही नाम दर्ज कराने की कृपा करायें।
सलंगन:- साक्ष्य दरतावेज

हरजी

हस्ताक्षर गवाह मय नाम

प्रार्थी के हस्ताक्षर

जांच रिपोर्ट

महोदय,

रिकार्ड जमाबन्दी सम्यत् 2070-73 ग्राम दुरी (पेडा) के खाता संख्या 126 में प्रार्थी हरजी बंसल जाति/प्रविष्टि S.B.S. शर्मा दर्ज है इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि S.B.S. सही करवाना चाहता है मैंने इसकी जांच करली है। प्रस्तावित प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित जाति/नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का ...

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक

नायब तहसीलदार

कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक भू.अ./2018/10

दिनांक 8-6-18

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी हरजी बंसल जाति S.B.S. शर्मा निवासी दुरी (पेडा) नाम/जाति/प्रविष्टि S.B.S. शर्मा मुताबिक रिकार्ड S.B.S. शर्मा दर्ज है जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर S.B.S. शर्मा दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार
मसूदा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक / रीडर/18/195

दिनांक 8-6-18

स्वीकृति आदेश
तहसीलदार मसूदा/बिजयनगर की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री हरजी बंसल का नाम/जाति/प्रविष्टि S.B.S. शर्मा निवासी दुरी (पेडा) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत S.B.S. शर्मा के स्थान पर S.B.S. शर्मा दुरुस्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

(सहायक अधिकारीना)
मसूदा (अजमेर)
उपखण्ड आधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

